

(भारत का राजपत्र , असाधारण के भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 235

नई दिल्ली

27 नवंबर, 2009

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38वां) की धारा 48, 49 और 50 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा, चेत्रे पत्तन न्यास के प्रचलित दरमान की वैधता को संलग्न आदेशानुसार विस्तारित करता है ।

(रानी जाधव)

अध्यक्षा

**महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
प्रकरण सं. टीएएमपी /45/2005- केओपीटी**

चेत्रे पत्तन न्यास (सीएचपीटी)

आवेदक

आदेश

(अक्टूबर 2009 के 23 वें दिन पारित)

यह मामला चेत्रे पत्तन न्यास सीएचपीटी के प्रचलित दरमान की वैधता के विस्तार से संबंधित है ।

2. सीएचपीटी के प्रचलित दरमान को इस प्राधिकरण ने 07 मार्च, 2006 को पिछली बार आदेश सं. टीएएमपी/36/2005-सीएचपीटी द्वारा अनुमोदित किया था । आदेश ने दरमान की वैधता को 31 मार्च, 2008 तक निर्धारित किया था । इसके बाद दरमान की वैधता को इस प्राधिकरण ने दिनांक 17 जून, 2009 के आदेश के द्वारा 30 सितंबर, 2009 तक विस्तारित किया था । जिसे भारत के राजपत्र में दिनांक 20 जून 2009 को अधिसूचना सं. 106 के द्वारा अधिसूचित किया गया है । सीएचपीटी दिनांक 29 सितंबर, 2009 के अपने पत्र के द्वारा 01 अक्टूबर, 2009 तक दरमान की वैधता को विस्तारित करने का अनुरोध किया है ।
3. सीएचपीटी ने दरमान के संशोधन के लिए प्रस्ताव दाखिल कर दिया है । प्रस्ताव में से उठे विभिन्न सवालों पर मांगी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों को पत्तन ने हाल ही में प्रस्तुत किया है जो छानबीन की प्रक्रिया के अंतर्गत है । इस प्राधिकरण द्वारा इस प्रकरण पर अंतिम रूप से विचार करने हेतु परिपक्व होने में कुछ और समय लग सकता है ।
4. चूंकि प्रचलित दरमान की वैधता 30 सितंबर, 2009 को समाप्त होती है और मामले को अंतिम रूप देने के लिए लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए, यह प्राधिकरण सीएचपीटी के प्रचलित दरमान की वैधता को 31 मार्च, 2010 तक या सीएचपीटी द्वारा दाखिल प्रशुल्क प्रस्ताव पर अंतिम निपटान होने तक, इससे जो भी पहले हो विस्तारित करता है ।
5. यदि 01 अप्रैल, 2008 के बाद वाली अवधि में स्वीकार्य लागत और अनुमेय प्रतिलाभ से अधिक कोई अतिरिक्त अधिशेष उभरता है तो उसे निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूर्णरूपेण समायोजित किया जायेगा ।

(रानी जाधव)

अध्यक्षा